संख्या- 6/**1105**/सत्रह-म-2014- 10-5(8) 1998

प्रेषक,

योगेश कुमार
प्रमुख सचिव ।

सेवा में

प्रबंध निदेशक
उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0
तृतीय तल लेखराज-२ इन्दिरा नगर लखनऊ ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक-27 जून, 2014

विषय- वेतन समिति 1998 के द्वितीय प्रतिवेदन में राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों के अनुसार उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 के कार्मिकों को पंचम वेतनमान स्वीकृति किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उघम अनुभाग-1 के अर्ध0शा0 पत्र संख्या- 22 पी0आर0सी/44-1/99-16उवेरि/97दिनांक 18-01-1999तथा शासनादेश संख्या- 607/44-1-2007-16 उ0वे0रि0/07 दिनांक 22 जून, 2007 में उल्लिखित सामान्य व्यवस्था के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि0 के कार्मिकों को निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित वर्तमान वेतनमानों को स्तम्भ-3 के अनुसार प्रस्तर-2 में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

http://shasanadesh.up.in

पदनाम	वर्तमान वेतनमान रू0	पुनरीक्षित वेतनमान रू0
1	2	3
मुख्य महा प्रबन्धक	प्रतिनियुक्त का पद	प्रतिनियुक्त का पद
मुख्यपरियोजना अभियन्ता	प्रतिनियुक्त का पद	प्रतिनियुक्त का पद
प्रबन्धक वित्त एवं लेखा	3700-125-4700-150-5000	12000-375-16500
कम्पनी सचिव	3100-100-3500-125-4500	10000 -325-15200
प्रबन्धक विपणन	3100-100-3500-125-4500	10000-325-15200
परियोजना अभियन्ता	3100-100-3500 -125-4500	10000-325-15200
प्रबन्धक बी0ञ0 /जलाशय	3100-100-3500-125-4500	10000 -325 -15200
अधिशासी प्रबन्धक बी0ञ0	2200-75-2800द0रो0- 100-4000	8000 -275 -13500
कार्मिक अधिकारी	2200-75-2800 द0रो0-100-4000	8000-275-13500
अधिशासी अधिकारी	2200-75-2800 द0रो0-100-4000	8000-275-13500
सहायक परियोजना अभियन्ता	2200-75-2800 द0रो0 100-4000	8000-275-13500
सहायक प्रबन्धक लेखा	2000-60-2300 द0रो0-75-3200	6500-200-10500
लेखाकार	1400-40-1600-50-2300 द0रो0-60-2600	5000- 150-8000
सहायक लेखाकार	1350-30-1440-40-1800-द0रो0 – 50-2200	4500-125-7000
मत्स्य अधिशासी	1400-40-1600-50-2300-द0रो0 -60 - 2600	5000-150 -8000
निजी सचिव	2000-60-2300-द0रो0-75-3200	6500-200-10500

http://shasanadesh.up.in

सहायक मत्स्य अधिशासी ग्रेड-1	1350-30-1440-40-1800-द0रो0 -50 -2200	4500-125-7000
सहायक मत्स्य अधिशासी ग्रेड-2	1025-25-1150- द0रो0- 30- 1720	3285-85-5070
वैयक्तिक सहायक	1400-40-1600-50-2300 - द0रो0- 60-2600	5000-150-8000
टंकक'सह'लिपिक /डिस्पैचर/कार्यालय सहायक	1025-25-1150-द0रो0-30-1720	3285 -85 -5070
अवर परियोजना अभियन्ता	1400-40-1800-द0रो0-50-2500	4500-125-7625
वाहन चालक	950-20-1150-द0रो-25-1500	3050-75-3950-80-4590
स्टोर कीपर कम क्लर्क	1025-25-1150-दरो-30-1720	3285-85-5070
डापट मैन	1350-30-1440-40-1800-द रो-50-2200	4500-125-7000
सेल्स मैन	1025-25-1150-द0रो0-30-1720	3285-85-5070
रिसेप्सनिष्ट कम पी0ए0	1400-40-1600-50-2300-द0 रो0- 60-2600	5000-150-8000
केयर टेकर	1400-40-1600-50-2300-द0 रो060-2600	5000-150-8000
कम्प्यूटर	2000-60-2300-द0रो0-75-3200	6500-200-10500
चेफ	1350-30-1440-40-1800-द रो-50-2200	4500-125-7000
वाहन चालक कम मैकैनिक	1350-30-1440-40-1800-द रो-50-2200	4500-125-7000

http://shasanadesh.up.in

अमीन	950-20-1150-द0रो-25-1500	3050-75-3950-80-4590
कुक	775-12-871-द0-रो0-14-1067	2610-60-3150-65-3735
कटर	775-12-871-द0-रो0-14-1067	2610-60-3150-65-3735
मछुवा	775-12-871-द0रो0-14-1067	2610-60-3150-65-3735
अटेंडेंट	750-12-870-द0रो0-14- 940	2550-55-2660-60-3200
क्लीनर कम सर्विस ब्वाय	775-12-871-द0-रो0-14-1067	2610-60-3150-65-3735
अटेंडेंट कम आपरेटर	775-12-871-द0रो0-14-1067	2610-60-3150-65-3735

2- पुनरीक्षित वेतनमान का उक्त लाभ निम्न प्रतिबन्धों के अधीन देय होगा-

निगम के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतनमानों का उक्त लाभ दिनांक 01-01-1996 से वैकल्पिक आधार पर अनुमन्य कराते हुये उसका वास्तविक लाभ तत्काल प्रभाव शासनादेश जारी होने की तिथि से अनुमन्य होगा। उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि0 के कार्मिकों को मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता आदि वेतन समिति (1999) की संस्तुतियों पर दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू वेतनमानों में राज्य कर्मचारियों के लिए निर्गत शासनादेशों में निर्धारित दरों पर शासनादेश निर्गत होने के दिनांक से अनुमन्य होंगे। मंहगाई भत्ता सार्वजनिक उघम विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार शासनादेश निर्गत होने के दिनांक से देय होगा। पुनरीक्षित किये जाने वाले वेतन/भत्तो को कोई एरियर अनुमन्य नहीं होगा ।

2- उक्त वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार का वहन निगम द्वारा अपने श्रोतों से किया जायेगा एवं इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई भी वित्तीय सहायता अनुमन्य नहीं होगी।

3- पुनरीक्षित वेतनमान का उक्त लाभ निगम के केवल पूर्णकालिक एवं नियमित कार्मिकों को ही देय होगा।

4- पुनरीक्षित वेतनमानों के सम्बन्ध में कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश प0मा0नि0- 357/10-21 (एम)/1997 दिनांक 31-12-1997 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.in

3 यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या - वे0आ0 2 -यू0ओ -773/ एक्स -14 दिनांक 26-6-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- **1105**/(1)/सत्रह-म-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम व द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2 महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
3 निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क उत्तर प्रदेश ।
4 मीडिया सलाहकार माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश।
5 वित्त (व्यय- नियत्रंण) अनुभाग -2
6 सार्वजनिक उघम अनुभाग-1/2
7 वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 /2 (तीन प्रतियों में)
8 - गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.in

http://shasanadesh.up.in